

प्रेषक,

सजय कुमार उपाध्याय
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०,
लखनऊ।

विश्वविद्यालय शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 23-सितम्बर, 2016

विषय- निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेजों द्वारा संचालित बी०डी०एस० पाठ्यक्रम के शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित डेन्टल कालेजों (अल्पसंख्यक डेन्टल कालेजों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित डेन्टल कालेजों को छोड़कर) के बी०डी०एस० पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु उ०प्र० निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियन्त्रण) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) के अन्तर्गत प्राधिकारित प्रवेश एवम् फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 19-09-2016 के कार्यवृत्त में समिति द्वारा अन्तिम रूप से शुल्क निर्धारित किये जाने हेतु 03 माह का समय प्रदान किये जाने अनुरोध किया गया है।

2- रिट याचिका संख्या-20575/एम०बी०/2016 अनर्देडेड मेडिकल कालेजों के वेलफेयर एसोसिएशन बनाम भारत संघ व अन्य तथा सम्बद्ध 14 अन्य रिट याचिकाओं में मा०उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15-09-2016 एवम् दत्त आयुर्विज्ञान परिषद्, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त, 2016 के अनुसार अकादमिक वर्ष 2016-17 में बी०डी०एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अन्तिम तारीख, जिस तक, किसी कारण से हुई रिक्तियों के प्रति छात्र दाखिल किए जा सकते हैं, 30 सितम्बर, 2016 निर्धारित है।

3- उ०प्र० निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियन्त्रण) अधिनियम 2006 की धारा-10 (1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेजों/निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित डेन्टल कालेजों की कारुन्सिलिंग दिनांक 23 सितम्बर, 2016 से की जानी है। फीस नियमन समिति द्वारा अत्य समयवाधि में

बीस निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः उक्त समिति द्वारा किये गये अनुरोध को स्वीकार करते हुए शासन द्वारा सम्बन्ध विधायीकरण सैद्धांतिक सत्र-2016-17 हेतु सीडीपीएसो पदच्यवन के लिए निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया जाता है:-

1. निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेजों/निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित डेन्टल कालेजों का सैद्धांतिक सत्र 2016-17 हेतु अन्तरिम शुल्क, उक्त अधिनियम की धारा-10 (1) के अन्तर्गत अंतिम शुल्क अज्ञात होने तक, अस्थायी रूप से निर्धारित किया जाता है।
2. निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेजों तथा निजी विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित डेन्टल कालेजों के सीडीपीएसो पदच्यवन की अस्थायी रूप से अन्तरिम शुल्क फॉरेट पर से रु० 3,25,000.00 (समस्त तीन लाख पच्चीस हजार मात्र) से अन्तर्गत प्रति छात्र/प्रति वर्ष निर्धारित किया जाता है।
3. उक्त बिन्दु- 2 में अस्थायी रूप से निर्धारित अन्तरिम शुल्क का निर्धारण इस शर्त के अधीन होगा कि उक्त बीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित अंतिम बीस के सामने इस अंतरिम बीस का समायोजन किया जायेगा।
4. उपर्युक्तानुसार अन्तरिम रूप से निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, विकिरण शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट <http://upmededu.in> पर प्रदर्शित की जायेगी तथा डेन्टल कालेजों द्वारा तत्काल उक्त अन्तरिम रूप से निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

4- क्या उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 4059 (1)/71-2-16-37/2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, डेन्टल काउन्सिल आफ इन्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/विद्यार्थी एवं विभाग /अल्पसंख्यक कल्याण/ व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ को उक्त शासनादेश के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।

4. समस्त विद्यार्थियों को (एक समिपेक विधित्त रिक्त एव प्रविष्ट
उपलक्षण)
5. सर्वत्र प्रथम एव द्वितीय विषय विधि समस्तको प्रथम उपलक्षण।
6. समस्त समस्तको प्रथम विषय (एक समिपेक विधित्त रिक्त एव
प्रविष्ट उपलक्षण)।
7. सर्वत्र प्रथम।

प्रथम से
 (नीचे के अनुसार लिखें)
 अनु. प्रथम।